संख्या- 7/2016/397 /33-3-2016-100(16)/2015

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 17 फरवरी, 2016

विषय- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या- 14 (सामान्य) अन्तर्गत गंगा किनारे स्थित ग्राम पंचायतों हेतु नये फंण्डिंग पैटर्न के अनुसार राज्यांश मद में 15 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि रू0 2358.65 लाख अवमुक्त करनें के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 05/2016/271 /33-3-2016-100(16)/2015 दिनांक 08 फरवरी 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या- 14 (सामान्य) अन्तर्गत गंगा किनारे स्थित ग्राम पंचायतों हेतु नये फंण्डिंग पैटर्न के अनुसार राज्यांश मद में 15 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि रू0 2358.65 लाख अवमुक्त किया गया है। इस शासनादेश दिनांक 08 फरवरी 2016 के प्रस्तर-1 (5) में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है -

(5) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ0प्र0 स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस0एस0एम0) के नाम से खोले गये खाता संख्या- 521302010060034 आई0एफ0एस0सी0 कोड यू बी आई एन 0552135 में जमा किया जायेगा।

2- गंगा किनारें स्थित ग्राम पंचायतों हेतु अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को गंगा एक्शन प्लान के खाते में जमा किया जाना था। उक्त प्रस्तर-1 (5) को निम्नवत संशोधित किया जाता है -

(5) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा जवाहर भवन, लखनऊ में " स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) गंगा एक्शन प्लान के नाम से खोले गये खाता संख्या- 35111378080, आई.एफ.एस.सी. कोड- एसबीआईएन0006144 में जमा किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 08 फरवरी 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगें।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.